



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2537]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2014/अग्रहायण 21, 1936

No. 2537]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2014

आय-कर

का.आ. 3168(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iiiकख) और उप-खंड (iiiकग) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (13 वां संशोधन) नियम, 2014 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- आय-कर नियम, 1962 में, नियम 2खख के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“2खख. धारा 10 के खंड (23ग) के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा सारवान रूप से वित्तपोषित के रूप में विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि पर विचार करने के लिए सरकारी अनुदान का प्रतिशत

धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iiiकख) और उप-खंड (iiiकग) के प्रयोजनों के लिए कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था, जो उसमें निर्दिष्ट है, पर विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था पर सरकार द्वारा सारवान रूप से वित्तपोषित के रूप में विचार किया जाएगा यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को सरकारी अनुदान, यथास्थिति, ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को स्वैच्छिक अनुदानों सहित सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है ।”

[अधिसूचना सं. 79/2014 फा.सं. 142/12/2014-टीपीएल]

आशीष कुमार, निदेशक (आयकर नीति और विधायन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 3015(अ) तारीख 28/11/2014 द्वारा किया गया ।